कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांकः प.32(बी)(1)आब/एल/2010/484 दिनांक : 23. 03. 2010

वर्ष 2010–11 के अनुज्ञापन हेतु उपलब्ध देशी मदिरा की रिटेल ऑफ दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु

आवेदन आमत्रंण की सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, वर्ष 2010–11 हेतु राज्य की देशी मदिरा की 22 दुकान/ दुकान समूह (जिला अजमेर में एक, जिला नागौर मे दो, जिला भीलवाड़ा मे एक, जिला बीकानेर मे एक, जिला हनुमानगढ मे एक, जिला सीकर मे तीन, जिला बाडमेर मे एक, जिला सिरोही मे एक एंव जिला उदयपुर मे ग्यारह दुकान/दुकान समूह जिनमें नवीनीकरण का विकल्प प्राप्त नही हुआ) अनुज्ञापन हेतु उपलब्ध है, उन दुकान/दुकान समूह के लिए वर्ष 2010–11 के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन आंमत्रित किये जाते है। ऐसी दुकान/दुकान समूह की सूची सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड के अतिरिक्त विभाग की वेब–साईट http://www.rajexcise.org पर भी उपलब्ध है।

2. इस सूचना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्ते आवेदन प्रपत्र में उपलब्ध है, जो सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है। जिस जिले से आवेदन प्राप्त किया जायेगा, उस जिले की अनुज्ञापन हेतु उपलब्ध दुकान/दुकान समूह का विवरण भी उपलब्ध कराया जायेगा।

3. आवेदन प्रपत्र स्टेशनरी चांर्ज रूपये **30/–** (जो कि आवेदन शुल्क के अतिरिक्त है) जमा कराकर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। कोई व्यक्ति चाहे तो विभाग की वेब–साईट **http://www.rajexcise.org** से आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड कर उसमें आवेदन कर सकेगा।

4. आवेदन सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में दिनांक **27.03.2010** को दोपहर 1.**00** बजें तक जमा कराये जा सकेगें। इसके बाद आवेदन स्वीकार नही किये जायेगें।

5. नवीनीकरण से शेष रही दुकान/दुकान समूह हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदन का चयन लॉटरी की प्रक्रिया द्वारा किया जावेगा। लॉटरी राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्यो के समक्ष दिनांक **27.03.2010** को दोपहर 3.**00** बजें जिला मुख्यालय पर निकाली जायेगी।

6. जिन आवेदन पत्रों के साथ आवेदन शुल्क, निर्धारित अर्नेस्ट मनी एंव पहचान का प्रमाण सलंग्न नही किया गया है, उनको लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया जायेगा।

7. आवेदन आमंत्रण के सम्बन्ध में अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

आबकारी आयुक्त
राजस्थान, उदयपुर